25/3/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 21/4/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

21/4/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप.। साक्ष्यवादी अनुपस्थित। वादी को साक्ष्यवादी प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। न्यायहित में 200रू (अक्षरे दो सौ रू) की शास्ति पर अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 1/5/25 को पेश हो।

21/4/25

1/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. उप.। साक्ष्यवादी अनु.। वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायहित में साक्ष्यवादी पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। वादी को 500 रू (अक्षरे पांच सौ रू) की शास्ति पर साक्ष्यवादी पेश करने हेतु अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 12/5/25 को पेश हो।

1/5/25

12/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधि. अनुपस्थित। वादी एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई। वादी एवं वादी अधिवक्ता को न्यायहित में पुनः एक बार आवाज लगाई गई। परन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 अदम हाजरी। अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। निर्णय सर इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

12/5/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. प्रीतम पुत्र भैरू लाल माली निवासी गुरला उम्र नाबालिग संरक्षक माता मीरा पत्नी भैरू लाल माली निवासी गुरला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. भैरू लाल पिता रामसुख माली निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सत्तु उर्फ नन्द लाल माली पुत्र भैरू लाल माली निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. लादी पत्नी भैरू लाल माली निवासी गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन, अधिकार घोषणा व अधिकार अभिलेख व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 84 / 2005 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत अनुपस्थित– इस वाद में आज तारीख 12.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

12/5/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा